



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 1 अक्टूबर, 2021
आश्विन 9, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-3

संख्या 2574/चौबीस-पी-3-2021-534-2020 टी०सी०

लखनऊ, दिनांक, 1 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-331

चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 850/वि०भू०अ०अ०/सं०सं०/मथुरा/2021 दिनांक 26.03.2021, लोक प्रयोजन अर्थात् उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि० मथुरा के माध्यम से 132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र जी०आई०एस० फरह परियोजना हेतु जिला मथुरा तहसील सदर स्थित ग्राम रौसू में 0.0350 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा-11 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी थी। उपरोक्त परियोजना हेतु भूमि-अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रवासक नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं था।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन परन्तुक अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-19 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम, परगना और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हांकित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा-19 की उप-धारा (2) के अधीन कलेक्टर को इस आषय की घोषणा प्रकाशित करने के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिए निदेश देते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है। जिला मथुरा में

132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र जी0आई0एस0 फरह परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची-“क”

प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
मथुरा	सदर	फरह	रौसू	85	0.0350

अनुसूची-“ख”

विस्थापन परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वास हेतु चिन्हित अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
मथुरा	सदर	फरह	रौसू	षून्य	षून्य

(इस परियोजना हेतु भूमि-अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कार्यालय जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति अनुभाग), मथुरा में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
भवानी सिंह खंगारौत,
विषेष सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2574/XXIV-P-3-2021-534-2020 T.C., dated October 1, 2021 :

No. 2574/XXIV-P-3-2021-534-2020 T.C.

Dated Lucknow, October 1, 2021

Whereas Preliminary notification No.850 /S.L.A.O /J.O./ Mathura/2021 dated 26-03-2021 was issued under sub-section (1) of section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), to Land in the Village **Rosu, 0.0350 Hectares** Tehsil **Sadar**, District **Mathura** for public purpose, namely **132KV Substation G.I.S. Farah, Mathura** Project through **Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. Mathura**. There is no family likely to be displaced due to the land acquisition of above said project. Hence there was no need to appoint Administrator for the purpose of Rehabilitation & Resettlement of the Project affected families.

Now, Therefore, after considering the report of the collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of section 15 of the said Act, the Governor is pleased to declare under sub-section (1) of section 19 of the said Act, that he is satisfied that the area of the land mentioned in the Schedule "A" below is needed for public purpose and no land in the Village, Paragana and Districts as given in Schedule "B" has been identified for Rehabilitation & Resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the said Act, to direct the collector to publish a summary of the Rehabilitation & Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation & Resettlement Scheme is attached herewith. (No family if likely to be displaced due to land acquisition for of **132KV Substation G.I.S. Farah**, Project in District Mathura. Hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation & Resettlement and publication of summary of Rehabilitation & Resettlement Scheme.)

SCHEDULE-A

LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Be Acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Mathura	Sadar	Farah	Rosu	85	0.0350

SCHEDULE-B

LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired Earmarked of Rehabilitation (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Mathura	Sadar	Farah	Rosu	0	0

(No family is likely to be displaced, due to land acquisition for this project)

NOTE: A Plan of land may be inspected in the office of the collector for the purpose of acquisition.

By order,

BHAWANI SINGH KHANGARAUT,
Vishesh Sachiv.